

सुभाष शामराओ पाचुंडे

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

8 दिसंबर, 2005

(एस.बी. सिन्हा और पी.पी. नाओलेकर, जे.जे.)

दंड संहिता, 1860:

धारा 300 अपवाद 4 हत्या की प्रयोज्यता - आरोपी व्यक्ति व मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे और इनके बीच तनावपूर्ण संबंध था। उक्त नियति वाले दिन, जब एक बादाम का पेड़ आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपने तरफ के खुले प्लोट में लगाया जा रहा था - शिकायतकर्ता और मृतक स्वयं के खुले प्लोट के हिस्से में खड़े थे जिसके बारे में आरोपी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि वे क्या देख रहे थे - उन्होंने उत्तर दिया कि वे स्वयं के प्लोट पर खड़े थे, जिस पर आरोपी व्यक्ति हथियार लेकर उनकी ओर दौड़े - आरोपी व्यक्ति को आगे बढ़ता देख शिकायतकर्ता और मृतक पीछे हटने लगे और गट्टर में गिर गए - आरोपियों ने मृतक पर चाकू से उसकी छाती पर और दूसरा उसके बगल के पास और गैती का प्रयोग करते हुए उसके पेट पर वार किया - इस घटना को शिकायतकर्ता के दोस्तों ने देखा -

विचारण न्यायालय ने आरोपियों को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की - सुधारते हुए -निर्णित किया: बादाम के पेड़ का रोपण देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायतकर्ताओं और मृतक ने अभियुक्त को हैरान किया, या उकसाया हो - इसके अलावा, जिस तरह मृतक और शिकायतकर्ता पर हमला किया गया था उससे पता चलता है कि आरोपी ने स्थिति का अनुचित फायदा उठाया। चूंकि वह गट्टर में गिर गए और लाचार थे - मृतक के शरीर पर लगे वार से सिद्ध होता है कि उसे शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा था और ऐसी चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थी - इसलिए, उक्त अपराध मानव वध जो हत्या की कोटि में है के दायरे में आएगा जो धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के तहत परिकल्पित है - परिस्थितियों के तहत, धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता का अपवाद 4 आकर्षित नहीं हुआ है - दोषसिद्धि यथावत रखी गई।

आरोपी व्यक्ति और मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे और संयुक्त परिवार की संपत्ति के असमान बंटवारे के कारण उनके बीच संबंध तनावपूर्ण थे। उनके आवासीय मकान अगल-बगल में थे। घटना के दिन आरोपी व्यक्तियों द्वारा उनके हिस्से के खुले प्लोट में बादाम का पेड़ का रोपण किया जा रहा था। शिकायतकर्ता और मृतक स्वयं के खुले प्लोट के हिस्से में खड़े थे जिसके बारे में आरोपी व्यक्ति क्रमांक 2 व 3 ने उनसे पूछा कि वे क्या देख रहे थे - उन्होंने उत्तर दिया कि वे स्वयं के पिता के प्लोट पर

खड़े थे, जिस पर आरोपी व्यक्ति हथियार लेकर उनकी ओर दौड़े - आरोपी व्यक्ति को आगे बढ़ता देख शिकायतकर्ता और मृतक पीछे हटने लगे और गट्टर में गिर गए। आरोपी 'एस' व 'टी' ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता पर हमला किया जबकि अपीलकर्ता और आरोपी 'जी' द्वारा अपने हाथों में हथियारों से मृतक पर हमला किया गया था - अपीलकर्ता के बारे में कहा गया था कि उसके द्वारा मृतक पर चाकू से उसकी छाती के बाएं निप्पल के नीचे और दूसरा उसके बगल के पास जबकि 'जी' के बारे में कहा गया था कि गैती का प्रयोग करते हुए उसके पेट पर वार किया - उक्त घटना को पी.डब्ल्यू 09 व 10 जो शिकायतकर्ता के दोस्त थे उनके द्वारा देखा गया।

अपीलकर्ता को 302 दण्ड संहिता 1860 के तहत दोषी पाया गया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की। अतः उक्त अपील।

न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न आए:-

क्या अपीलकर्ता द्वारा मृतक की मृत्यु कारित करने का अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के चौथे अपवाद के दायरे में आएगा अथवा नहीं

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए,

निर्णित किया: 1. घटना की उत्पत्ति विवाद में नहीं है। शिकायतकर्ता और मृतक स्वयं की भूमि से अभियुक्तों को उनके परिसर में बादाम का पेड़ रोपण करते हुए देख रहे थे। यह नहीं कहा जा सकता कि उनके द्वारा उन्हें

हैरान-परेशान किया गया हो। अपीलकर्ता और उसके भाई द्वारा शब्दों का आदान-प्रदान करते हुए यह पूछा गया कि वे क्या देख रहे थे। यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायतकर्ता द्वारा यह उत्तर देना कि वे अपनी स्वयं की भूमि पर खड़े थे उससे अभियुक्त के अत्यधिक उत्तेजित होते हुए मृतक और शिकायतकर्ता को शारीरिक क्षति पहुंचाने का कारण नहीं माना जा सकता है। अपीलकर्ता और उसके साथी हथियारों से लैस होते हुए मृतक और शिकायतकर्ता जो निहत्थे थे उन पर हमला किया और उन्हें आश्चर्यचकित किया होगा। संभवतः अपीलकर्ता संख्या 1, 3 व 4 क्रमशः लोहे की छड़, गैती और फावड़ा वृक्षारोपण के प्रयोजन के लिए ले जा रहे थे, लेकिन चाकू जो अपराध का हथियार था और अपीलकर्ता द्वारा ले जाया जा रहा था उक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं था। वह इतना बड़ा चाकू क्यों ले जा रहा था अस्पष्टीकृत रहा है। (600-ज, 601-क, ख व ग)

2. आरोपी संख्या 1 व 4 के साथ-साथ अपीलकर्ता भी मृतक और शिकायतकर्ता की तरफ आगे बढ़े जिसके परिणामस्वरूप वह गट्टर के पास गए जो आरोपी की जमीन के बिल्कुल किनारे था ऐसा भी हो सकता है और नहीं भी अपीलकर्ता और उसके भाई के उपद्रवी कृत्य से मृतक और शिकायतकर्ता दोनों गट्टर में फिसल गए हो, लेकिन तथ्य यह है कि वे उसमें गिरे थे। विचारण न्यायालय ने पाया कि पीछे हटते समय वे स्वयं गट्टर में गिर गए। शिकायतकर्ता और मृतक पर गट्टर में ही हमला किया

गया। उनके पास कोई हथियार नहीं था जबकि आरोपियों के पास घातक हथियार थे। उपर्युक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर जानलेवा हथियार से अपीलकर्ता द्वारा हमला करने के असर पर विचार करना चाहिए। विचारण न्यायालय और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय इस तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिकायतकर्ता और मृतक नाले में गिर गए। (601- घ, ड., च)

3.1 अपीलकर्ता द्वारा कारित की गई चोट दाहिने फेफड़े तक गई अपीलकर्ता ने एक चोट पहुंचाने के बाद भी खुद को नहीं रोका। उसने अन्य और आगे चोट भी प्रवृत्त की। निस्संदेह चोटें एक से अधिक थीं। (603- ज)

3.2 इस प्रकार यह ऐसा मामला नहीं है जहां अचानक प्रकोपन पर आरोपी ने केवल एक ही चोट कारित की हो। (603- झ)

4. यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने आत्मसंयम की शक्ति से वंचित रहते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन से अपराध किया है। इस मामले में भा.द.सं. की धारा 300 का अपवाद 2 लागू नहीं होगा और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक और शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता को कोई प्रकोपन दिया हो। (604- ट)

5. आपराधिक मानव वध और हत्या के बीच विशेष मनःस्थिति की मौजूदगी का अंतर है जिसमें चार मानसिक दृष्टिकोण शामिल हैं इनमें से किसी की भी उपस्थिति से कमतर अपराध गंभीर हो जाता है। इन दृष्टिकोण का भा.द.सं. की धारा 300 में वर्णन किया गया है जो हत्या को आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है उससे भिन्न करता है। (605- क)

6. धारा 300 भा.द.सं. के अपवाद 4 की सामग्री है:-

(i) अचानक लड़ाई में (ii) पूर्वचिंतन के बिना (iii) उक्त कृत्य जनित आवेश की तीव्रता में किया गया है और (iv) हमलावरों द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य नहीं किया गया हो। (605- ख)

7. उन परिस्थितियों में उक्त सामग्री मौजूद होने पर झगड़े का कारण महत्वपूर्ण नहीं होगा कि किसने प्रकोपन किया या हमला शुरू किया। तथापि, निर्विवादित रूप से, घटना अचानक होनी चाहिए ना कि पूर्व चिंतन के साथ और अपराधी ने गुस्से में आकर ऐसा किया होगा। (605- ग)

राजेन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य, (2000) 4 ,298, एससीसी पर आश्रित था।

8. भले ही यह मान लिया जाए कि मृतक अथवा शिकायतकर्ता से पूछे गये सवालों के जवाब से प्रकोपन की स्थिति पैदा हुई, जाहिर तौर

मौजूद अपीलकर्ता और उनके खिलाफ पहले से मौजूद द्वेष और उनके पूर्वाग्रह के कारण था। इसके अलावा, जिस तरह से मृतक और शिकायतकर्ता पर हमला किया गया, उससे पता चलता है हमलावरों ने स्थिति का अनुचित फायदा उठाया क्योंकि वे गटर में गिर गये और इस प्रकार, असहाय स्थिति में थे।(606- ख)

प्रभू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1991) सप. 2 एससीसी 725 और थंगैया बनाम तमिलनाडु राज्य, (2005) 9 एससीसी 650, पर निर्भर था।

विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1958), एससीआर 1495, पर निर्भर था।

खानजन पाल बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, (1990) 4 एससीसी 53 और भोजप्पा हनुमंथाप्पा चैदन्नावर बनाम कर्नाटक राज्य (2004) 2 एससीसी क्रिमीनल 1783, भेद।

8. इस मामले में, मृतक की ओर से प्रकोपन नहीं दिया गया। उन्होंने ऐसी कोई भी आकस्मिक टिप्पणी नहीं की जिससे उन्हें प्रकोपित किया जा सके और न ही दोनों पक्षों में विवाद हुआ जिसकी परिणति घटना के रूप में हुई। (607- ड.)

9. मृतक के शरीर पर वार स्पष्ट रूप से उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के इरादे से किये गये थे और ऐसी चोटें मृत्यु का कारण बनने के लिए सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त थी, यह अपराध भारतीय दण्ड

संहिता की धारा 300 के तहत आपराधिक मानव वध के दायरे में आएगा।

(608- ख, ग)

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 541/1999

मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.12.98 की 1989 की आपराधिक अपील संख्या 761।

वी.एस. मोहता, जे.वी. पाटिल, मनीष पिटले, नीलकंता नायक और चंद्रशेखर आसरी अपीलकर्ता की ओर से।

रविन्द्र केसराव प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस. बी. सिन्हा जे. इसमें अपीलार्थी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 302 सपठित धारा 149, 323, 324 और 149 के तहत पांच अन्य लोगों के साथ अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया।

अपीपलार्थी के पिता शामराव अभियुक्त क्रमांक 1 थे, अभियुक्त क्रमांक 3 और 4 गणपति और तानाजी उनके भाई थे जबकि अभियुक्त क्रमांक 5 दत्तात्रेय सालुंके उनके भतीजे थे, अभियुक्त क्रमांक 6 विजय गंगाराम पटेल एक घनिष्ठ पारिवारिक मित्र था।

दिनांक 8.11.1989 के अपने निर्णय के आधार पर विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत

दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा और 10000- रुपये का जुर्माना अदा करना व उसके व्यतिक्रम में तीन साल के लिए कठोर कारावास से गुजरना और अभियुक्त संख्या 1 और 4 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के तहत, अन्य को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा की गई अपील में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की लेकिन अभियुक्त संख्या 1 और 4 के संबंध में संशोधन करते हुए पहले से गुजर चुकी कारावास की अवधि को माना।

यह अपील एक सीमित प्रश्न अर्थात् अपराध की प्रकृति के संबंध में स्वीकार की गई थी।

अपील में उठाई गई दलीलों पर ध्यान देने से पहले हम संक्षेप में मामले के तथ्य पर गौर कर सकते हैं। दोनों पक्ष एक संयुक्त परिवार के सदस्य थे। अभियुक्त संख्या 1 शामराव और प्रहलाद दो भाई थे जबकि अभियुक्त संख्या 2 और 5 शामराव के वंश के हैं, मृतक और शिकायतकर्ता प्रहलाद के पुत्र थे। 1984 में उक्त भाईयों के बीच बंटवारा हुआ, जिससे हरिपुर रोड़ के किनारे खुले भूखण्ड का उत्तरी भाग प्रहलाद के हिस्से में और दक्षिणी भाग शामराव को आवंटित किया गया। प्लोट का उत्तरी एवं दक्षिणी भाग 15 फीट चौड़ी सड़क द्वारा विभाजित है। निर्विवाद रूप से दोनों पक्षों के मध्य संबंध तनावपूर्ण थे।

अभियुक्त संख्या 6 के अलावा सभी आरोपी और मृतक तथा शिकायतकर्ता, प्रहलाद के पुत्र, निकटतम संबंधी हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि शिकायतकर्ता और उसके भाई अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त परिवार की संपत्तियों के न्यायोचित बंटवारे के आधार पर शामराव और उसके बेटों के प्रति द्वेष रखते थे। दोनों पक्षों के आवासीय मकान अगल-बगल में थे।

घटना के दिन आरोपीयों द्वारा अपने तरफ खुले प्लोट में बादाम का एक पेड़ लगाया जा रहा था। पी.डब्ल्यू 8 राजेन्द्र और उसका भाई मृतक नन्दराम अपने हिस्से के प्लोट में कथित तौर पर अपने मित्रों का कबड्डी खेल में भाग लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, जिस पर आरोपी संख्या 2 और 3 ने उनसे पूछा कि वे क्या देख रहे थे- उन्होंने जवाब दिया कि वे अपने पिता के प्लोट पर खड़े थे। जिस पर आरोपी हथियार लेकर उनकी ओर दौड़े, आरोपी संख्या 1 के पास लोहे की रोड़ थी, आरोपी संख्या 2 के पास चाकू था, आरोपी संख्या 3 के पास एक गैंती थी, आरोपी संख्या 4 के हाथ में एक फावड़ा। अभियुक्तों को अपनी ओर बढ़ते देख शिकायतकर्ता और मृतक दक्षिण की ओर बढ़ने लगे, यानी आरोपी के प्लोट की तरफ पीछे हटने लगे। वे एक गटर में गिर गये। शामराव और तानाजी ने कथित तौर पर राजेन्द्र पर हमला किया जबकि नन्दकुमार पर अपीलकर्ता और आरोपी संख्या 4 गणपति द्वारा हाथों में हथियारों से हमला किया गया था, जिनके हाथ में हथियार थे। राजेन्द्र ने शामराव द्वारा उस पर लोहे की रोड़ से किए

गए हमले से बचने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप उसकी पीठ पर चोट लगी। तानाजी ने उसके दाहिने पैर पर फावड़ा से वार किया। कहा जाता है कि अपीलकर्ता ने नन्दकुमार पर चाकू से वार किया, पहला उसकी छाती के बायीं निप्पल के नीचे और दूसरा उसकी बगल के पास वार किया, जबकि बताया जाता है कि गणपति ने पेट पर बायीं तरफ कुल्हे की हड्डी के ऊपर गैती से वार किया था। ऐसा कहा जाता है कि उक्त घटना को राजु पी.डब्ल्यू 9 और श्रीरंग जाधव पी.डब्ल्यू 10 ने देखा जो राजेन्द्र के दोस्त हैं जो एक मंदिर से वापस आ रहे थे। इसके बाद आरोपी भाग गये।

जबकि मृतक को एक रिक्शा में अस्पताल ले जाया गया था। शिकायतकर्ता दूसरे रिक्शा में अकेले पुलिस स्टेशन गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि पी.डब्ल्यू 16 बाबूराव थोराट पी.एस.ओ. को डा. अफाले का फोन आया जिसमें बताया गया था कि नन्द कुमार को उसके भाई अरविंद द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया है।

राजेन्द्र द्वारा दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट रात 8.15 बजे श्री थोराट द्वारा आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 34 के तहत अपराध करने के लिए दर्ज की गई। इसके तुरंत बाद श्री थोराट को फिर से डा. अफाले का फोन आया और उन्होंने बताया कि इस बीच नन्दकुमार की मृत्यु हो गई है।

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन की कहानी के एक भाग पर विश्वास नहीं किया, कि शिकायतकर्ता और मृतक, अपीलकर्ता और गणपति के उपद्रवी कृत्यों के कारण पैर फिसलने से गटर में गिर गए। उनका यह मानना था कि आरोपी संख्या 5 और 6 की घटना में कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने इसके अलावा यह भी माना कि घटना अचानक घटित होने के कारण, सामान्य उद्देश्य या सामान्य आशय के गठन का कोई मामला बनना नहीं पाया गया और परिणामस्वरूप यह माना गया कि वे व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में अपराध करने के दोषी थे।

अनुमति दिये जाने के बावजूद अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.एस. मोहता ने गुणावगुण के आधार बहस करने की मांग की, जिसे अनुमति नहीं दी गई। विद्वान अधिवक्ता ने हमें अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों के साथ-साथ पी.डब्ल्यू 8 राजेन्द्र, पी.डब्ल्यू 9 राजू और पी.डब्ल्यू 10 श्रीरंग के साक्ष्यों से भी अवगत करवाया और यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्षों में अपीलकर्ता को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया गया है। इस संदर्भ में हमें विचार करना चाहिये कि अभियोजन की कहानी पर आंशिक रूप से अविश्वास किया गया था। यह आग्रह किया गया था कि स्वीकृत है कि घटना उसके पिता के स्वामित्व वाले भूखण्ड पर हुई थी और इस मामले को देखते हुए ऐसा मामला नहीं कहा जा सकता जहां अपीलकर्ता मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई

आशय या उद्देश्य था और आरोपी संख्या 1 और 4 पी.डब्ल्यू 8 को चोट पहुंचाएंगे। विद्वान अधिवक्ता ने आगे आग्रह किया कि प्रदर्श पी. 31 चाकू खून आलूदा नहीं पाया गया था, उसकी कथित बरामदगी अप्रासंगिक थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती रूप से पाया है कि घटना बिना किसी पूर्वचिन्तन और मन की सहमति के अचानक घटित हुई, अपीलकर्ता को अधिक से अधिक कहा जा सकता है कि उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के भाग II के तहत अपराध किया है। हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित हुआ कि सभी आरोपियों के पास मौजूद हथियार मौके पर उपलब्ध थे जिन्हें बादाम का पेड़ लगाने के लिए ले गये थे। श्री मोहता ने आगे कहा कि इस मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 से जुड़ा चैथा अपवाद लागू होगा। खानजन पाल बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, (1990) 4 एससीसी 53 के मामले में इस संबंध में और भोजप्पा हनुमंथाप्पा चैदन्नावर और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2004) 2 एससीसी क्रिमीनल 1783 के मुकदमों पर आश्रित था।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री एडस्योर ने आग्रह किया गया कि अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन न केवल शिकायतकर्ता द्वारा बल्कि स्वतंत्र चशमदीद गवाहों द्वारा भी किया गया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलाकर्ता ने मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर दो चाकू की चोटें पहुंचाई, यह ऐसा मामला

नहीं है जहां भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 का चैथा अपवाद लागू होगा।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले में सीमित अनुमति दी गई थी, अर्थात् अपराध की प्रकृति के प्रश्न पर, हमें केवल यह प्रश्न निर्धारित करने के लिए कहा जाता है कि क्या अपीलकर्ता के हाथों नंदकुमार की मृत्यु कारित है। भा.द.सं. की धारा 300 के चोथे अपवाद के दायरे में आएगा या नहीं।

घटना की उत्पत्ति विवाद में नहीं है। शिकायतकर्ता और मृतक स्वयं की भूमि से अभियुक्तों को उनके परिसर में बादाम का पेड़ रोपण करते हुए देख रहे थे। यह नहीं कहा जा सकता कि उनके द्वारा उन्हें हैरान-परेशान किया गया हो। अपीलकर्ता और उसके भाई द्वारा शब्दों का आदान-प्रदान करते हुए यह पूछा गया कि वे क्या देख रहे थे। यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायतकर्ता द्वारा यह उत्तर देना कि वे अपनी स्वयं की भूमि पर खड़े थे उससे अभियुक्त के अत्यधिक उत्तेजित होते हुए मृतक और शिकायतकर्ता को शारीरिक क्षति पहुंचाने का कारण नहीं माना जा सकता है। अपीलकर्ता और उसके साथी हथियारों से लैस होते हुए मृतक और शिकायतकर्ता जो निहत्थे थे उन पर हमला किया और उन्हें आश्चर्यचकित किया होगा। संभवतः अपीलकर्ता संख्या 1, 3 व 4 क्रमशः लोहे की छड़, गैती और फावड़ा वृक्षारोपण के प्रयोजन के लिए ले जा रहे थे, लेकिन चाकू जो

अपराध का हथियार था और अपीलकर्ता द्वारा ले जाया जा रहा था उक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं था। वह इतना बड़ा चाकू क्यों ले जा रहा था अस्पष्टीकृत रहा है।

आरोपी संख्या 1 व 4 के साथ-साथ अपीलकर्ता भी मृतक और शिकायतकर्ता की तरफ आगे बढ़े जिसके परिणामस्वरूप वह गट्टर के पास गए जो आरोपी की जमीन के बिल्कुल किनारे था ऐसा भी हो सकता है और नहीं भी अपीलकर्ता और उसके भाई के उपद्रवी कृत्य से मृतक और शिकायतकर्ता दोनों गट्टर में फिसल गए हो, लेकिन तथ्य यह है कि वे उसमें गिरे थे। विचारण न्यायालय ने पाया कि पीछे हटते समय वे स्वयं गट्टर में गिर गए। शिकायतकर्ता और मृतक पर गट्टर में ही हमला किया गया। उनके पास कोई हथियार नहीं था जबकि आरोपियों के पास घातक हथियार थे। उपर्युक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर जानलेवा हथियार से अपीलकर्ता द्वारा हमला करने के असर पर विचार करना चाहिए। विचारण न्यायालय और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय इस तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिकायतकर्ता और मृतक नाले में गिर गए। मृतक और शिकायतकर्ता के साथ-साथ अपीलकर्ता द्वारा पहने गये कपड़े जब्त कर लिये गये थे। विचारण विद्वान न्यायाधीश अभिनिर्धारित किया कि:-

“यह भी विवाद में नहीं है कि किसी भी आरोपी को कोई चोट नहीं आई है और इसलिए, यह तथ्य की गिरफ्तारी पंचनामा तैयार नहीं किया गया है, यह नहीं दर्शाता कि आई. ओ. की ओर से हेरफेर किया गया है। इन आरोपियों के कपड़े उक्त पंचनामा प्रदर्श पी. 44 के अंतर्गत संलग्न है। पंचनामा पी.डब्ल्यू 6 चंद्रकांत बाबर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित है। पंचनामा से पता चला कि शामराव की धोती और कमीज खून आलूदा थे। आरोपी संख्या 2 सुभाष की कमर और पेंट पर खून के धब्बे थे और आरोपी संख्या 3 गणपति की बिना आस्तिन कुर्ती और अंडर पेंट मिट्टी से गंदे थे। तानाजी की पेट पर खून के धब्बे थे, मैंने बहस के समय इन कपड़ों को देखा है। यह पाया गया कि आरोपी संख्या 2 सुभाष की शर्ट की आस्तिन पर कफ के पास मिट्टी थी। पंचनामें में इन दागों का जिक्र नहीं है। आरोपी संख्या 3 गणपति के सारे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, आरोपी संख्या 4 तानाजी की पेंट वस्तु क्रमांक 22 पर मिट्टी के दाग थे। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि आरोपी संख्या 3 के अनुसार वह भी गटर में गिर गया था और इसलिए, यह तथ्य बताया गया कि उसके सारे कपड़े मिट्टी से ढके हुए थे। यह तथ्य शिकायतकर्ता और चश्मदीद पी.डब्ल्यू 9 राजु बावडेकर और पी. डब्ल्यू 10 श्रीरंग जाधव की विश्वसनीयता की गवाही को संदेह से परे स्थापित करते हैं कि शिकायतकर्ता और उसका भाई नन्दकुमार गटर में गिर गये थे और गटर में उन पर हमला किया गया था।”

इस प्रकार मृतक और शिकायतकर्ता गटर में गिर गये और अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं थे।

इस बिन्दु पर हम मृतक नन्दकुमार के शरीर पर पाए गए मृत्यु पूर्व के घावों को देख सकते हैं। मृतक की जांच करने वाले डाक्टर ने कहा:

“जब मैंने मरीज की जांच की, तो मैंने पाया कि मरीज होश में था। उसकी सामान्य हालत खराब थी। गंभीर पीलापन था। पल्स 110 प्रति मिनट। श्वसन दर 40 प्रति मिनट। बीपी 80 से 60 एचजी। रोगी ने 7 बजे शाम को चाकू से हमले का इतिहास बताया।”

पोस्टमार्टम भी उनके द्वारा किया गया। डाक्टर ने आगे राय दी:

“पोस्टमार्टम के समय मैंने देखा कि मृतक के कपड़े गंदे पानी से भीगे हुए थे। मैंने कालम नंबर 17 में बाहरी चोटों का वर्णन किया है। मैंने पोस्टमार्टम के समय देखा कि छाती, पेट, पैर, हाथ पर खून के निशान एवं गंदे पानी के दाग से मिले हुए थे। उक्त सीमक्षा का उल्लेख पोस्टमार्टम टिप्पणी के कालम नंबर 14 में किया गया है।”

“पोस्टमार्टम टिप्पणी की सामग्री सही है। पोस्टमार्टम टिप्पणी प्रदर्श पी. 67 पर प्रदर्शित किया गया है। ये सभी चोटें मृत्यु से पहले की थीं। खोज नंबर 17 में चोट नंबर 1 खोज 29(ई) की खोज के अनुरूप है, यानी बाएं फेफड़े में चोट। चोट संख्या 4 सर्जिकल है। चोट संख्या 2 कालम संख्या 2 में वर्णित आंतरिक चोट से मेल

खाती है जिससे पता चलता है कि बड़ी आंत में छेद हो गया था। पेरिटोनियम में देखा गया रक्त कालम संख्या 17 में वर्णित चोट संख्या 3 के कारण हो सकता है। फेफड़ों की सतह पर खून चोट संख्या 1 के कारण है। चोट संख्या 1 से 3 और 5 कठोर और धारदार हथियार के कारण हो सकते हैं। वस्तु संख्या 31 चाकू गवाह को दिखाया गया। चोट संख्या 1, 2 और 5 इस चाकू से कारित सकती है। चोट संख्या 5 प्रहार से बचने के प्रयास के दौरान लग सकती है। गैती वस्तु 5 गवाह को दिखाई गई। चोट संख्या 3 गैती के नुकीले सिरे के कारण हो सकती है।”

उनकी राय में, चोट संख्या 1 अपने आप में प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिये पर्याप्त थी। चोट संख्या 2 और 3 भी मृत्यु का कारण बन सकती हैं लेकिन उस स्थिति में मृत्यु तत्काल नहीं होगी। हालांकि वे चोटें प्रकृति के साधारण क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं होगी क्योंकि जीवित रहने के साथ-साथ मृत्यु की भी संभावना हो सकती है। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी चोट रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि चोट संख्या 2 मांसपेशी गहरी थी: उस समय उन्होंने चोट की जांच नहीं की। अपनी जिरह में डाक्टर ने आगे कहा कि:

“चोट संख्या 1 की दिशा फेफड़े के मध्यवर्ती जड़ तक की है। चोट संख्या 2 की दिशा नीचे की ओर है। चोट

संख्या 3 की दिशा मध्यवर्ती दर्जे की है। यह कहना सही होगा कि यह गेंती लगने से हुआ होगा। (वस्तु संख्या 5) घाव के किनारों पर घाव होंगे। चोट संख्या 3 का वर्णन करते समय मैंने इन घावों पर ध्यान नहीं दिया है। यह कहना सही है कि छेद करने के लिए हथियार को अंत के 6 इंच तक प्रवेश करना होगा। चोट संख्या 3 की गहराई लगभग 6 इंच है। अज खुद कहा कि मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि चोट संख्या 3 वस्तु संख्या 5 से कारित की जा सकती है। उक्त तथ्य पर विचार किया कि हथियारों ने शरीर में 6 इंच तक प्रवेश किया। यह तथ्य है कि मेने चोट संख्या 2 का वर्णन मांसपेशी गहरा के रूप एम.एल.सी. रजिस्टर में किया है, ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त मैंने चोट की जांच नहीं की थी।”

अपीलकर्ता द्वारा कारित की गई चोट संख्या 1 दाहिने फेफड़े तक गई अपीलकर्ता ने एक चोट पहुंचाने के बाद भी खुद को नहीं रोका। उसने अन्य और आगे चोट भी प्रवृत्त की। निस्संदेह चोटें एक से अधिक थीं।

इस प्रकार यह ऐसा मामला नहीं है जहां अचानक प्रकोपन पर आरोपी ने केवल एक ही चोट कारित की हो।

धारा 299 भारतीय दण्ड संहिता निम्नानुसार पढ़ी जाएगी:

“299 भारतीय दण्ड संहिता:- आपराधिक मानव वध- जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।”

धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता निम्नानुसार पढ़ी जाएगी:

“300 भारतीय दण्ड संहिता:- हत्या- एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा- यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा- यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो या वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का

आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चोथा- यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

“उक्त नियम का अपवाद 2 प्रतिपादित करत है-
“आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी, शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावनापूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे, और पूर्वचिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो।”

उक्त नियम का अपवाद 4 इस प्रकार है:

अपवाद 4- आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो।

यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने आत्मसंयम की शक्ति से वंचित रहते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन से अपराध किया है। इस मामले में भा.द.सं. की धारा 300 का अपवाद 2 लागू नहीं होगा और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक और शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता को कोई प्रकोपन दिया हो।

आपराधिक मानव वध और हत्या के बीच विशेष मनःस्थिति की मौजूदगी का अंतर है जिसमें चार मानसिक दृष्टिकोण शामिल हैं इनमें से किसी की भी उपस्थिति से कमतर अपराध गंभीर हो जाता है। इन दृष्टिकोण का भा.द.सं. की धारा 300 में वर्णन किया गया है जो हत्या को आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है उससे भिन्न करता है।

उक्त अपवाद 4 की सामग्रियां हैं:- (i) अचानक लड़ाई में, (ii) पूर्वचिंतन के बिना, (iii) उक्त कृत्य जनित आवेश की तीव्रता में किया गया है और (iv) हमलावरों द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य नहीं किया गया हो।

उन परिस्थितियों में उक्त सामग्री मौजूद होने पर झगड़े का कारण महत्वपूर्ण नहीं होगा कि किसने प्रकोपन किया या हमला शुरू किया। तथापि, निर्विवादित रूप से, घटना अचानक होनी चाहिए ना कि पूर्व चिंतन के साथ और अपराधी ने गुस्से में आकर ऐसा किया होगा।

राजेन्द्र सिंह व अन्य बनाम बिहार राज्य, 200 4 एससीसी 298 के पृष्ठ 307 पर

इस न्यायालय ने कहा:

जहां तक श्री मिश्रा के तीसरे तर्क का सवाल है विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 की सामग्री को संतुष्ट किया जा सकता है।

धारा 300 के अपवाद 4 की आवश्यक सामग्री है:

(क) अचानक लड़ाई(

(ख) पूर्वचिन्तन का अभाव(

(ग) कोई अनुचित लाभ या क्रूरता नहीं।

लेकिन यह घटना अचानक होनी चाहिए न कि पहले से मौजूद द्वेष के रूप में। अचानक हुए झगड़े पर आवेश में किया गया एक अनियोजित हमला जो अपवाद 4 के अंतर्गत आएगा और तीनों सामग्रियों का मिलना जरूरी है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से स्थापित होता है कि अभियोजन पक्ष

अपनी जमीन पर था, आरोपियों ने विरोध किया और जुताई करने से रोका लेकिन जब वे नहीं रुके तो आरोपी व्यक्ति पास के भूखंड पर तेजी से पहुंचे जो उनकी जमीन है और उनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने जब अभियोजन पक्ष पर हमला किया, जिससे अंततः अभियोजन पक्ष के कई सदस्य घायल हो गये और उनके से एक की मृत्यु हो गई जबकि वे पूरी तरह से निहत्थे थे। चार चश्मदीद गवाह पीडब्ल्यू 2, 4, 7 और 8 के साक्ष्यों की समीक्षा करने पर, जिन्होंने पूरे परिदृश्य का चित्रित किया है, हमारे लिये अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री मिश्रा की दलील के मामले में धारा 300 भांडसं का अपवाद 4 लागू होगा, से सहमत होना संभव नहीं है, इसलिए, हम विद्वान अधिवक्ता की उक्त दलील को खारीज करते हैं।”

भले ही यह मान लिया जाए कि मृतक अथवा शिकायतकर्ता से पूछे गये सवालों के जवाब से प्रकोपन की स्थिति पैदा हुई, जाहिर तौर यह अपीलकर्ता और उनके खिलाफ पहले से मौजूद द्वेष और उनके पूर्वाग्रह के कारण था। इसके अलावा, जिस तरह से मृतक और शिकायतकर्ता पर हमला किया गया, उससे पता चलता है हमलावरों ने स्थिति का फायदा उठाया क्योंकि वे गटर में गिर गये और इस प्रकार, असहाय स्थिति में थे।

प्रभू और अन्य में बनाम मध्यप्रदेश राज्य, (1991) सप. 2 एससीसी 725 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐसे मामले में

इसी तरह के तर्क को खारिज कर दिया जहां आरोपी ने एक से अधिक चोटें पहुंचाई, यह कहते हुए:

“हालांकि, पीडब्ल्यू 4, डा. सीके डफाल की साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक को बेरहमी से पीटा गया। मृतक के पूरे शरीर पर सिर से लेकर पैर तक अनगिनत चोट के निशान थे। कलाई, ह्यूमरस आदि का अस्थिभंग हुआ है और पूरा शरीर राड के निशान से भरा था। पूरे चेहरे पर कई कुचली हुई चोट के निशान थे और बायीं आंख से खून बह रहा था। पीड़ित को पहुंचाई गई क्षति की समग्रता नीचे दी गई दोनों न्यायालयों के निष्कर्षों का स्पष्ट रूप से समर्थन करती है कि अपीलकर्ता मृतक के साथ तब तक मारपीट करते रहे जब तक कि उसकी मृत्यु हो गई थी।”

थंगैया बनाम तमिलनाडु राज्य, (2005) 9 एससीसी 650, इस न्यायालय के एक प्रसिद्ध निर्णय पर आश्रय लेते हुए विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1958) एससीआर 1495, खण्ड पीठ ने टिप्पणी की:

17. विवियन बोस, जे का यह संवीक्षा उपयोग में लिया जाने लगा। विरसा सिंह मामले द्वारा तृतीयखण्ड की प्रयोज्यता के लिए निर्धारित परीक्षण अब हमारी कानूनी प्रणाली में निहित है और कानून के शासन का हिस्सा बन गया है। भा.दं.सं. की धारा 300 के ' ' खण्ड के तहत मानव

वध हत्या है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं: अर्थात् (क) यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो: और (ख) वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। यहां ये साबित करना होगा कि उस विशेष शारीरिक चोट पहुंचाने का आशय था जो कि प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था अर्थात् जो चोट मौजूद थी उसे कारित करने का आशय था।

18. "इस प्रकार, विरसा सिंह मामले में निर्धारित नियम के अनुसार, भले ही अभियुक्त का आशय शारीरिक चोट पहुंचाने तक सीमित था जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी और मृत्यु कारित करने के आशय तक विस्तारित नहीं था, अपराध हत्या होगा। धारा 300 में संलग्न उद्धरण (ग) इस बात को स्पष्ट रूप से सामने लाता है।"

इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई निश्चित नियम नहीं है कि जब एक प्रहार किया जाएगा तब धारा 302 नहीं लगेगी।

हालांकि, कोई सख्त नियम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें शामिल तथ्यात्मक आव्यूह के संबंध में अलग-अलग परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।

खंजन पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1990) 4 एससीसी 53 जिस पर श्री मोहता ने आश्रय लिया कि, वह अलग है। उस मामले में मृतक और आरोपी के बीच विवाद होना स्वीकारा किया गया था। इस दौरान हाथापाई हुई जिसमें मृतक को चोटें आईं। अभिलेख पर लाये गये साक्ष्यों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ कि पूरी घटना अचानक हुए घटनाक्रम के परिणामस्वरूप हुई। इसमें पाया गया कि अपीलकर्ता ने तत्काल और बिना किसी पूर्वचिन्तन के कार्य किया।

इस मामले में मृतक की ओर से कोई प्रकोपन की कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने ऐसी कोई आकस्मिक टिप्पणी नहीं की जिससे उन्हें प्रकोपित किया जा सके और न ही दोनों पक्षों में विवाद हुआ जिसकी परिणति घटना के रूप में हुई।

भोजप्पा हनुमनथप्पा (सुपरा) में फिर से श्री मोहता ने भरोसा जाताया कि मामले का तथ्य पूरी तरह से अलग था जैसा कि निम्नलिखित से पता चलता है:

“10.09.1984 की रात के दौरान पी.डब्ल्यू 1 भीमप्पा के घर सामने हंगामा हुआ। अपीलकर्ता और उसके सह-

अभियुक्त भीमप्पा और उसके बहनोई पर हमला करने में शामिल थे। जब पूरी तरह से विवाद चल रहा था पीडब्ल्यू 1 की बेटी रेनू कच्चा, एक बारह वर्षीय छोटी लड़की, संभवतः अपने पिता को बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची, जिसे उसने सोचा होगा कि वह एक खतरनाक स्थिति में होगा। इसके बाद अपीलकर्ता ने एक लकड़ी के हथोड़े को घुमाया जो रेनू कच्चा के सिर पर लगा, जो दुर्भाग्यपूर्ण जानलेवा साबित हुआ। इसलिए, दोषमुक्त किये जाने के खिलाफ अपील पर उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता का आशय चोट पहुंचाने का नहीं था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि अपराध केवल भा.दं.सं. 304 के भाग प् के तहत है।”

उपर्युक्त स्थिति में, इस न्यायालय की राय थी कि अपीलकर्ता के मन में घटना से पहले या घटना के दौरान छोटी लड़की के प्रति कोई गुस्सा नहीं था। यह अचानक किया गया कृत्य था, जिसका उसे गंभीर चोट कारित करने का कोई आशय नहीं था।

हस्तगत प्रकरण बिल्कुल अलग आधार पर है। मृतक के शरीर पर जाहिरा चोट के वार स्पष्ट रूप से उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के इरादे से किये गये थे और ऐसी चोटें मृत्यु का कारण बनने के लिए

सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त थी, यह अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 390 के तहत आपराधिक मानव वध के दायरे में आएगा।

वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों और यहां पहले बताये गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि यह एक उपर्युक्त मामला नहीं है जहां विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय की राय से अलग राय दी जा सकती है। हमारे विचार में दोनों न्यायालयों ने अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपराध करने लिए उचित रूप से दोषी ठहराया था। अपील में कोई आधार नहीं होने के कारण इसे खारिज कर दिया गया है।

याचिका खारीज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री नवीन रतनू (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण:- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।